

आवेदक
कार्ड
टिप्पणी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

5

(1.) मिथीलाल पासवान पिता स्व० गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व० धनेश्वर राम, निवास स्थान हुडहुडु पंडितजी मुहल्ला, धाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छेयनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना संख्या-147, खाला संख्या-05, प्लॉट संख्या-2016 रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसिमिल) (चार डिसिमिल) भूमि सुरभि भारती पिता बासुदेव राम पति आलोक कुमार, निवास स्थान ग्राम-सोनबरसा, पोस्ट-घेपाकला, पंचायत-सिन्धुवारी, धाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-381/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2090/रा० दिनांक 17.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1660 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाला की है। खतियानी रैयत कलपू दुसाध चमै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 18.09 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 12.34 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-7/1 पर ऑनलाईन में कैलाश दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। आवेदक संख्या-01 के छरदादा एवं आवेदक संख्या-02 के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलू खेचारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 12.30 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिसूचना क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश कार्रवाई दिवस

2


भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4b से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दफ्तल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौकड़ी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा थिफ्रेता को छेदानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) मिथीलाल पासवान पिता स्व० गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व० धनेश्वर राम, निवास स्थान हुडहुड पंडितजी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छेदानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुड, थाना संख्या-147, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-2016 रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुरभि भारती पिता बासुदेव राम पति आलोक कुमार, निवास स्थान ग्राम-सोनबरसा, पोस्ट-चेपाकला, पंचायत-शिन्दुवारी, थाना- बड़कागोंव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अपर रामाहर्ष, हजारीबाग



अपर रामाहर्ष, हजारीबाग